फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री गुमान | **विपक्षी : श्री कालु**

किस्म मुकदमा –88,188 रा.का. अधिनियम | **पत्रावली संख्या : 38/22**

जीसीएमएस : 2022/68

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 28.10.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वादीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत कर अपने पिता की सम्पति में घोषणा चाही गई थी। वादीगण के पिता मांगीया पिता नन्दा भील दावा प्रस्तुत करने से पूर्व ही फौत हो चुके हैं जिसका वर्णन वादीगण द्वारा अपने वाद में किया गया हैं। वादीगण द्वारा घोषणा हेतु वाद इस न्यायालय में पेश कर दिया गया है जबकि वादीगण को विरासत के नामान्तरकरण हेतु सक्षम न्यायालय (तहसीलदार) में आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए था परन्तु वादीगण द्वारा ऐसा नहीं किया गया। वादपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण घोषणा का नहीं होकर विरासत के नामान्तरकरण का हैं जिसको सुनने का अधिकार न्यायालय हाजा को नहीं हैं। प्रकरण में तहसीलदार मावली को धारा 135(2) के तहत् प्रकरण दर्ज कर सुनने का अधिकार हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार मावली को निर्देशित किया जाता है कि धारा 135 (2) के तहत् प्रकरण दर्ज कर पक्षकारान को विधिवत् सुनवाई का अवसर देते हुए नियमानुसार निर्णय पारित करें। जरिये अधिवक्ता उभय पक्षकारान को सुचित किया जाता है कि न्यायालय तहसीलदार मावली में दिनांक 20.11.2024 को उपस्थित रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रमेश सिरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
[illegible] मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.11.07 17:32:33 IST
Reason: SelfAttested